उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1
संख्या : 17/2024/1462/94-1-2024-312(15)/2022
लखनऊ, दिनांक : 24 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से-

(1) नीचे अनुसूची में दिए गये राजस्व ग्रामों/मुहल्लों को सम्मिलित करके जिला इटावा में निबन्धन उप जिला ''सैफई'' की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, तथा

(2) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों/मुहल्लों के क्षेत्रों को अपवर्जित करके जिला इटावा के निबन्धन उप जिला 'जसवन्त नगर' की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं।

अनुसूची

जिला इटावा के निबन्धन उप-जिला 'जसवन्त नगर' से अपवर्जित किये गये एवं जिला इटावा के निबन्धन उप-जिला ''सैफई'' में सम्मिलित किये गये 09 ग्रामों/मुहल्लों की सूची-

1-	नगला सुभान	2-	वियारी भटपुरा	3-	लरखौर
4-	रनुआ	5-	हैंवरा	6-	बनामई
7-	नगला अनिया	8-	कांटीहार	9-	भुजपुरा बीबामऊ

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जिसने अभी तक पूर्वोक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया हो, में पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 17/2024/1462/94-1-2024-312(15)/2022 दिनांक : 24 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 24 सितम्बर, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 17/2024/1462/94-1-2024-312(15)/2022 दिनांक : 24 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ०प्र०, कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ०प्र०, लखनऊ।
6. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
7. मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
8. जिलाधिकारी, इटावा।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबन्धक, इटावा।
10. उप महानिरीक्षक निबन्धन, कानपुर मण्डल, कानपुर।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, इटावा।
12. विधायी अनुभाग-1
13. गार्ड फाइल।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp evam Registration Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 17/2024/1462/94-1-2024-312(15)/2022, dated 24 September, 2024:

Notification

No. 17/2024/1462/94-1-2024-312(15)/2022
Lucknow; Dated : 24 September, 2024

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, is pleased to,—

(a) alter the limits of registration sub-district "Saifai" in district Etawa by including revenue villages/mohallas given in the Schedule below; and

(b) alter the limits of registration sub-district Jaswant Nagar of district Etawa by excluding the areas of revenue villages/mohallas given in the Schedule below.

Schedule

List of 09 Villages/Mohallas excluded from the registration sub-district 'Jaswant Nagar' of district Etawa and included in registration sub-district "Saifai" of district Etawa

1	NAGLA SUBHAN	2	BIYARI BHATPURA	3	LARKHAUR
4	RANUAN	5	HENWARA	6	BANMAI
7	NAGLA ANIYAN	8	KANTIHAAR	9	BHUJPURA BEEBAMAU

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding which has already commenced or is pending in any Court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the aforesaid areas.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।